

## कार्यालय तहसीलदार, पलिया-खीरी।

पत्रांक : 171/राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन-भूमि/राजस्व निरीक्षक(कार्या0), दिनांक : 02.07.2026

मुख्य विकास अधिकारी  
लखीमपुर-खीरी।

महोदय,

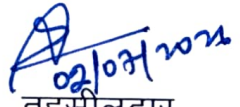
सादर अवगत कराना है कि आपके द्वारा पत्र सं0-1041/W-314(VOL-6)/Sector-Partner/2025/ISA-1 के तहत सौर ऊर्जा संचालित पेयजल शुद्धिकरण इकाई की स्थापना हेतु ग्राम गोलबोड़ी में लगभग 200 वर्ग फीट भूमि की मांग की गई है। जिसके क्रम में लेखपाल/राजस्व निरीक्षक से उपलब्धत भूमि की अभिलेखीय/स्थलीय जांच करायी गई।

ग्राम गोलबोड़ी में वन भूमि (श्रेणी 5-क(क), 5-क(ख), 5-क(ग)) दर्ज अभिलेख है, के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है, उक्त वन भूमि का नियमानुसार प्रस्ताव किया जाना संभव नहीं है। अन्य ग्राम परसिया परगना व तहसील पलिया की गाटा संख्या-153/0.320हे0, श्रेणी-5-1, नई परती दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि पेयजल शुद्धिकरण इकाई की स्थापना हेतु उपयुक्त है एवं मौके पर रिक्त है।

अतः ग्राम परसिया में उपलब्ध उक्त भूमि का निरीक्षण करने एवं उपयुक्तता की जांच हेतु लेखपाल आख्या मय अभिलेख एवं नजरी नक्शा संलग्न कर पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है।

आख्या सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि - उप जिलाधिकारी महोदय, पलिया को सादर सूचनार्थ।

  
तहसीलदार,  
पलिया-खीरी।

तहसीलदार,  
पलिया-खीरी।